

सं. 25013/01/2013-स्था. ए-IV

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)


नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक 27 अगस्त, 2019

कार्यालय जापन

विषय : प्रशासन का सुदृढीकरण -एफआर 56(जे) एवं सीसीएस (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 48 के अन्तर्गत आवधिक समीक्षा - अभ्यावेदन समिति के संशोधित संघटन के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 10 अगस्त, 2017 के सम्संख्यक कार्यालय जापन का संदर्भ देने और अभ्यावेदन समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन संबंधी सक्षम प्राधिकारी के निर्णय की सूचना देने का निदेश हुआ है:

- (i) सुश्री अरुणा सुन्दरराजन, भा.प्र.से (सेवानिवृत्त) के स्थान पर डॉ. (सुश्री) प्रीति सुदन भा.प्र.से (एपी:83), सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
- (ii) सुश्री रचना शाह, भा.प्र.से. (केएल:91), संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय; और
- (iii) संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा नामित एक सदस्य


(उमेश कुमार भाटिया)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

मंत्रालयों/विभागों के सभी सचिव
(मानक सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
2. उपराष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय (ध्यानाकर्षण : सुश्री मीरा मोहंती, निदेशक), नई दिल्ली।

W